

an>

Title: Need to release funds under Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Bihar.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना (मनरेगा) देश में एक महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी योजना है, जो वर्ष 2005-2006 से ही चल रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने में मदद मिल रही है। लोगों को अपने क्षेत्र में ही काम करने का मौका मिलता है। खास बात यह है कि महिलाओं को सशक्त करने में मनरेगा काफी हद तक सफल रही है क्योंकि योजना के अंतर्गत एक तिहाई महिलाओं के लिए कार्य निश्चित है। इससे मजदूरों का पलायन रूका है। ग्रामीण क्षेत्र में कृष-शक्ति को भी बढ़ाने में मनरेगा सफल हो रही है। यह योजना दोहरे कार्य-तक्ष्य को भी प्राप्त कर रही है। जैसे- जल संरक्षण और संतयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क पथ निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, तट बंधों का निर्माण और मरम्मत, नये टैंक, ताताबों की खुदाई, भूमि समतलीकरण, आहर एवं नहर की खुदाई व मरम्मत कार्य, आदि।

अब तो विश्व बैंक ने भी मनरेगा को संसार के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया है, क्योंकि अपने देश के करीब 19 फीसदी या यूं कहा जाए कि करीब 18.5 करोड़ निम्न एवं मध्यम वर्ग के पुरूषों एवं महिलाओं को इस रोजगार गारंटी योजना से लाभ हो रहा है। फिर भी सरकार इसे बंद करने पर अमादा है। मनरेगा में केंद्र द्वारा राज्यों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को इस योजना के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण वहां मजदूरों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। यह तो गरीबों के साथ सससर अन्याय है और उन्हें तुरंत ही भुगतान करने की जरूरत है। हां, अगर योजना में कोई खामी है या कमी है तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे भ्रष्टाचार या जिन मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से भी मजदूरी का भुगतान आदि विधाय है, उस पर सदन में चर्चा हो और सार्थक हल निकाला जाये। परंतु योजना को बंद करने का विचार न्यायसंगत नहीं है।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाये और पिछड़े राज्यों जैसे बिहार प्रदेश का जो भुगतान रोक गया है, उसे तुरंत निर्गत किया जाये एवं सदन में इस योजना की कमज़ोरियों पर चर्चा हो।

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल शाम को लिया जाएगा।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, रूल 193 के तहत जो चर्चा है, उसे अभी शुरू किया जाए। रूल 193 के लिए आइटम 13 में जो चर्चा इनटॉलरेंस के ऊपर है, उसे अभी लिया जाए। बाकी काम बाद में हो सकता है as that is an important issue. That is my request, Madam.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैकैर्या नायडू) : सरकार हमेशा नियम के हिसाब से आगे बढ़ना चाहती है। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा लग रहा है कि नियम 193 के तहत तुरंत चर्चा करनी चाहिए तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। नॉर्मली पूर्ण काल के बाद शून्य काल होता है। मैं तुरंत गृह मंत्री जी को खबर करूंगा, वह आ जायेंगे, सरकार को नियम 193 के तहत बहस करवाने में कोई आपत्ति नहीं है।

HON. SPEAKER: All right.

Now 'Zero Hour' will be taken up in the evening.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, I have given notice for Adjournment Motion today regarding price rise in the country which is a burning issue. It is reaching skyrocketed height. The essential commodities are going out of the grip. I have said it repeatedly on the floor of the House that hungry people are fighting with hunger. The essential commodities, at least, 15 in numbers, should be brought under Public Distribution System for a regular flow by which the poorest of the poor people can survive with their food.

Madam, it is a very important matter. Therefore, I would request you to allow us to take up this discussion in detail any time in this Session.

HON. SPEAKER: Shri Veerappa Moilyji has also given notice on the same issue.

...(Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : क्या आप हर विधाय पर बोलेंगे? वह आपसे सीनियर हैं, फोर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मैं उनके बारे में बोल रही हूं। आज यह क्या हो रहा है?

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उन्हीं का नाम लिया है कि उन्होंने भी इस इश्यू पर नोटिस दिया है। क्या आप मेरा वाक्य पूरा भी नहीं होने देंगे?

â€¦(व्यवधान)

SHRI M. VEERAPPA MOILY (CHIKKABALLAPUR): Madam, I have given notice for an Adjournment Motion on the skyrocketing price rise. It is of a very grave concern because the Government has failed to control this. It is at a record high, that is why, it requires immediate attention. It is also a question of attacking malnutrition in the country.

HON. SPEAKER: I have disallowed the adjournment motion but we will discuss it. I am not saying that we will not discuss it.

श्री एम. वैकैर्या नायडू : स्पीकर मैडम, मेरी बात सुनने के बाद आप जो भी निर्णय करें। ... (व्यवधान) वह होने के बाद स्पीकर मैडम बोल रही थीं। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: You have raised the issue. I have given you sufficient time.

...(Interruptions)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Speaker, they do not want a response from the Governmentâ€¦ (Interruptions)

HON. SPEAKER: Mr. Kalyan Banerjee, I have not allowed you to speak.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Sudip Bandyopadhyay has given the notice.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: That will not go on record. Everybody is saying something.

...(Interruptions)â€! □

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, what I was suggesting is that Shri Sudip Bandyopadhyayji as also Shri Veerappa Moily, another senior Member, have raised the issue of price rise...(Interruptions). We are not discussing the subject. We are identifying the subject...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Veerappaji, you have raised the issue. We are not having a discussion on that. I have disallowed it. You were supposed to say one or two sentences and you have done so. That is all.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : But that is not enough. I would request that the discussion may take place today itself. If the time is fixed, I will be happy but it cannot be postponed.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: There is no question of postponing. The Government is ready to discuss tolerance issue, intolerant issue as also price rise issue. Shri Veerappa Moily is one of the senior most Members and a very experienced also. You cannot discuss simultaneously all issues together one after another. Whatever the hon. Speaker decides, whether tolerance first or price rise first or other issues first, let the hon. Speaker decide. Government is ready to discuss both the issues. There is no problem from the side of the Government...(Interruptions)

HON. SPEAKER: Now it is over. The Government is ready.

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Madam, there should be a positive indication from the side of the Government that it will be taken on a priority basis. The issue of price rise will have to be taken up on topmost priority. A general statement like this issue will be taken up or that issue will be taken up is not what we want. There should be a positive indication either from the Government or from the hon. Speaker that the issue of price rise will be taken up on priority basis and discussed immediately. This is our serious concern and that cannot be just brushed aside.

HON. SPEAKER: Everybody has so many issues. Only those two hon. Members have given notice on this subject of price rise.

Shri Rajiv Ranjan, I have got your notice also. मैंने यह भी कहा है कि आज इसे ऐलाऊ मत कीजिए। कोई भी स्थगन प्रस्ताव ऐलाऊ नहीं हुआ है। आपको फिर कभी बात उठाने का मौका दे दूंगी। That is all.

...(Interruptions)

HON. SPEAKER: I have disallowed it. We will discuss the issue. It has been decided. The Government is ready. हम आपका दूसरा ईशू ले रहे हैं।

â€!(व्यवधान)

HON. SPEAKER: It will be decided in the Business Advisory Committee as to when it will be taken up and when to discuss. It is not like that. You know it very well. Please take your seat.

...(Interruptions)â€! □

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदया, हमारा मामला काफी गंभीर है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको शाम को बोलने का मौका दे दूंगी।

â€!(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब हम नियम 193 के अंतर्गत जो चर्चा करने जा रहे हैं, आप सबकी सहमति बनी है कि इन्टॉलरेंस के संबंध में जो प्रसंग उभर रहे हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करें। मैं वेयर के नाते आपसे कहना चाहूंगी कि जो ईशू सब लोग डिसकस करेंगे, हम सब इससे चिंतित हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज इसे तुरंत ले रहे हैं। मेरा दोनों तरफ के सदस्यों से इतना ही निवेदन है कि आरोप-प्रत्यारोप सब होंगे, हम कम से कम यहां इन्टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे, एक-दूसरे की बात सुन लें। अगर यहां से कुछ बोला जाए,

â€!(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सुन लींजिए, आपकी तरफ से भी जवाब आएगा। जब आपकी तरफ से जवाब आएगा, आप लोग भी शांति से सुन लींजिए। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, अपने आपको लाखों जनता का नेता मानते हैं, पूरे देश को एक दिशा देते हैं। अगर देश में किसी के मन में कुछ प्रश्न हैं तो आज की चर्चा उसे पॉजिटिव दिशा देनी। इसलिए यह ईशू ऐवसैट किया गया है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं डिग्लिटि शब्द कहूँ या क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहना चाहती हूँ कि यह बात मेनटेन रहे। हम अपनी जिम्मेदारी समझें। यहां कम से कम इन्टॉलरेंस नहीं दिखे, यह आप सबसे मेरा निवेदन है। अगर सदन में उच्च प्रकार की चर्चा होगी तो हम पूरे देश को विश्वास दे सकेंगे कि देश का नेतृत्व देश को उचित दिशा में ले जा रहा है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, इन्टॉलरेंस विषय पर चर्चा प्रारंभ होने से पहले चर्चा में भाग लेने वाले सभी सम्मानित सदस्यों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिन्हें यह महसूस हो रहा है कि देश में इन्टॉलरेंस बढ़ रहा है, मैं उनसे यह अपेक्षा करूंगा कि वे अपना सुझाव भी दें। इन्टॉलरेंस हमारी दृष्टि से नहीं बढ़ रहा है, यदि उनकी दृष्टि से बढ़ रहा है तो उसे

समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए, यह बताएं। मैं इसकी अपेक्षा करूंगा।

12.25 hours

DISCUSSION UNDER RULE 193